न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 10/2021 G.C.M.S. No. 2021/403 दर्ज दिनांक : 10.10.2021

प्रार्थी :

1. चौथाराम पुत्र शंकरदास जी उर्फ चेनदासजी, उम्र वयस्क, जाति रंगास्वामी (भील) निवासी रानीखुर्द, तहसील रानी, जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थी :

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी रानी तहसील रानी, जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित 151 सिविल प्रक्रिया संहिता व धारा 5 परिसीमा अधिनियम बसिलसिले आदेश दिनांक 05 परिसीमा अधिनियम बसिलसिले आदेश दिनांक 04.12.2018, मूल अपील 97/2017 बअनवान चौथाराम बनाम राजस्थान राज्य अदालत हाजा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय, पाली जिसमें अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई।

उपस्थित–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 27.01.2025

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित 151 सिविल प्रक्रिया संहिता व धारा 5 परिसीमा अधिनियम बसिलसिले आदेश दिनांक 05 परिसीमा अधिनियम बसिलसिले आदेश दिनांक 04.12.2018, मूल अपील 97/2017 बअनवान चौथाराम बनाम राजस्थान राज्य अदालत हाजा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय, पाली जिसमें अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई, के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि प्रार्थी द्वारा एक अपील श्रीमान सहायक कलक्टर रानी के आदेश दिनांक 14.07.2017 राजस्व वाद संख्या 177/2013 (04/12) के विरूद्ध पेश की गई। पत्रावली में बाद तामील रेकर्ड प्राप्त हुआ तथा पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर रहीं। परंतु अधिवक्ता अपीलांट बाली से आने के कारण तथा अधिवक्ता की डायरी में उक्त पेशी दिनांक 04.12.2018 में नोट नहीं रहने के कारण अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पाये तथा पेशी की दिनांक से अनभिज्ञता के कारण अपीलांट भी अनुपस्थित रहा तथा अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि प्रार्थी बुजुर्ग व्यक्ति है। न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं हो पाया है तथा न ही अधिवक्ता द्वारा कभी अपीलांट प्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिए गए। अपीलांट द्वारा कई बार अधिवक्ता से तारीख पेशी पूछने पर बताया गया कि आपकी पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है, आपको आने की जरूरत नहीं हैं। इस कारण प्रार्थी कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया। अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से पत्रावली को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिससे प्रार्थी को अकथनीय हानि हुई हैं। जबकि कानून की मंशा यह है कि अधिवक्ता की गलती की सजा प्रार्थी को नहीं भुगताई जा सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी का दावा धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का महत्वपूर्ण वाद है। जिसके विरूद्ध अपीलांट के द्वारा श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की गई है, जो अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई हैं। जिसे पुनः रेस्टोर किया जावे तथा पत्रावली को गुणावगुण पर सुन निस्तारण किया जावें तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

प्रार्थना पत्र म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोंडेंट व न्यायालय हाजा की पत्रावली तलब की गई।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा मूल अपील संख्या 97/2017 बअनवान चौथाराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2018 से अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2021 को प्रस्तुत किया। जोकि म्याद बाहर है।
2. प्रार्थी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलंबकाल के संबंध में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी बुजुर्ग व्यक्ति है। न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं हो पाया है तथा न ही अधिवक्ता द्वारा कभी अपीलांट प्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिए गए। अपीलांट द्वारा कई बार अधिवक्ता से तारीख पेशी पूछने पर बताया गया कि आपकी पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है, आपको आने की जरूरत नहीं हैं। इस कारण प्रार्थी कभी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया। अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से पत्रावली को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिससे प्रार्थी को अकथनीय हानि हुई हैं। जबकि कानून की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

मंशा यह है कि अधिवक्ता की गलती की सजा प्रार्थी को नहीं भुगताई जा सकती हैं।

3. प्रार्थी के कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विलंब के कारण के रूप में अपने अधिवक्ता को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे विनम्र मत में प्रार्थी पक्षकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहें तथा प्रकरण में समुचित पैरवी के लिए अपने अधिवक्ता को हिदायत देते रहें। पक्षकार अपना उक्त कर्तव्य किसी भी दृष्टि से अन्य पर आरोपित नहीं कर सकता तथा प्रार्थी विलंब के लिए अपने अधिवक्ता को जिम्मेदार ठहराकर स्वयं जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

4. हस्तगत प्रकरण में लगभग 33 माह अर्थात लगभग 990 दिवस का दीर्घ विलंब विद्यमान है तथा प्रार्थी द्वारा विलंब के कारण के रूप में कोई सद्भाविक, समुचित व युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं किया है। अतः हमारे विनम्र मत में विलंबकाल को माफ किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27.01.2025

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner